

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.7	चिन्हित गैर प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	03 कार्य दिवस	परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय	15 कार्य दिवस	उद्योग आयुक्त, म. प्र.

क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-21.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
उच्च शिक्षा विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21.1	नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करना	सहायक कुलसचिव	03 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव
21.2	प्रोविजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंकसूची प्रदान करना.	सहायक कुलसचिव	02 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव
21.3	अंकसूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना.	सहायक कुलसचिव	02 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव
21.4	शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना	सहायक कुलसचिव	15 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव
21.5	शोध प्रबंध (Thesis) प्रस्तुति के पश्चात् पीएचडी अवार्ड करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेना.	सहायक कुलसचिव	180 कार्य दिवस	उपकुलसचिव	07 कार्य दिवस	कुलसचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव.